

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-118/2019 - 3308

/पटना, दिनांक- 31/7/19

प्रेषक,

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0

अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

SL No	Name of Division	Block	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	Areraj	Sangrampur	Rajepur Mathia to Manglapur	10.610	292.41600	108.54300	29.24160	430.20060
2	Areraj	Sangrampur	Dhangaraha Chowk NH-28 to Bhawanipur SH-74	4.200	174.99000	41.94500	17.49900	234.43400
3	Areraj	Sangrampur	Bhatwalia to Inergachhi WB Road	4.720	125.60800	47.63000	12.56080	185.79880
4	Areraj	Sangrampur	Karariya Chara Machin to Pachbhirwa road	4.500	125.77900	46.02100	12.57790	184.37790
5	Areraj	Sangrampur	amwa via ghusiyar to murli road	6.042	180.86700	60.99800	18.08670	259.95170
6	Areraj	Sangrampur	Bhawanipur REO road to Madhubani Dubey tola	6.500	185.23900	64.50600	18.52390	268.26890
7	Areraj	Sangrampur	Nandpur nala to Parsouna path	6.000	166.86900	59.80100	16.68690	243.35690
8	Areraj	Sangrampur	Sangrampur block to jalaha road	2.890	83.63800	29.74900	8.36380	121.75080
9	Areraj	Sangrampur	Sangrampur bazar to mathia	1.810	52.37300	19.00300	5.23730	76.61330
10	Areraj	Sangrampur	Sangrampur Prakhand ke Ija gram me state highway se boring hote hue to mathi gram tak	0.890	25.91200	9.96000	2.59120	38.46320
11	Areraj	Sangrampur	WB Road Indragachhi to Murli Nizamat	3.850	115.96800	40.44100	11.59680	168.00580
12	Areraj	Sangrampur	Madhubani Math to Dubey tola	3.016	89.80900	31.67700	8.98090	130.46690

SL No	Name of Division	Block	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
54	Areraj	Harsidhi	Ghaya ghat devi sthan to ghaya gat Bazar jane wali sadak nirman	1.130	31.07600	12.26900	3.10760	46.45260 .
55	Areraj	Harsidhi	PWD Road to Baraharpur	2.140	60.86500	22.83900	6.08650	89.79050 .
56	Areraj	Harsidhi	PWD Road to jadipur	4.210	125.82700	44.05400	12.58270	182.46370 .
57	Areraj	Harsidhi	Munarpur REO Road to PWD tak Sadak Nirman	0.510	13.42500	5.92000	1.34250	20.68750 .
58	Areraj	Harsidhi	REO road to jagdishpur	1.830	54.02100	19.95700	5.40210	79.38010 .
59	Areraj	Harsidhi	Gniwadar Chowk to Githaba mahadalit tola Harendra ram ke ghar se sevaha mahadalit tola ravindra ram ke ghar tka sadak nirman	2.760	78.73900	28.53200	7.87390	115.14490 .
60	Areraj	Harsidhi	Matanwa to Bishunpur nanhkar	2.300	64.03400	24.58000	6.40340	95.01740 .
61	Areraj	Harsidhi	Parsurampur to sarisawa	1.760	51.69500	19.09100	5.16950	75.95550 .
62	Areraj	Harsidhi	Gayghat Bazar to Dih tola Chamartoli hote hue Mahanuwa naresh manjhi ke ghar tak road Nirman karya	2.070	54.91500	20.92300	5.49150	81.32950 .
Total				226.679	6472.80800	2334.64000	647.28080	9454.72880

- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, अरेराज योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत MBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
- इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-64/2019 में दिनांक 15.07.2019 को प्राप्त है।
- सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-22.07.2019 को संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-118/2019 में अनुमोदन प्राप्त है।
- योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।

9. संबंधित योजना U/SRI कैटगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्रांडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं०-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यो को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न करना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु०अ०-4 (मु०)-3054 04-118/2019 के पृ०-08 / टि० पर दिनांक-28/11/19 को प्राप्त है।

विश्वसभाजन

(मु० सचिव)
अवर सचिव

पत्रांक- मु०अ०-4 (मु०)-3054-04-118/2019 3308 /पटना, दिनांक-21/7/19
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

पत्रांक- मु०अ०-4 (मु०)-3054-04-118/2019 3308 /पटना, दिनांक-21/7/19
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण /उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंवल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, अरेराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव